International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 03(I), July - September, 2022, pp. 43-50

भारत में चुनाव सुधारः आवश्यकता एवं प्रयास

डॉ. दिनेश कुमार गहलोत*
भावना गहलोत**

सार

*प्राचीन गौरवशाली परम्पराओ, सांस्कृतिक धरोहरो से परिपूर्ण एवं विविधता में एकता की भावना को पूर्णरूपेण अभिव्यक्त करता भारतवर्ष विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश है। लोकतान्त्रिक देश की मुख्य विशेषता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत लोकतन्त्र के जीवन्त स्वरूप को स्पष्टतः देखा जा सकता है। लोकतन्त्र को अधिक परिपक्व एवं सुदृढ बनाने हेतु देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में वृहद् परिवर्तन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण मॉग है। राजनीतिक व्यवस्था में सुधार हेतु निर्वाचन व्यवस्था में परिवर्तन एक अहम् विषय है। भारत में प्रथम लोकसभा के निर्वाचन से लेकर वर्तमान में सत्रहवी लोकसभा के निर्वाचन तक निर्वाचन व्यवस्था में समय–समय पर अनेक परिवर्तन किए गए है। चुनाव सुधारो के क्रम में निर्णयो का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि निर्वाचन व्यवस्था में सुधार किए गए है एवं विभिन्न नवाचारो यथा–ईवीएम मशीन का प्रयोग, नोट विकल्प की उपस्थिति, वीवीपेट को भी चुनाव में प्रयोग किया गया है, तथापि इस सन्दर्भ में अधिक ठोस सुधारो की दशा में **'वर्क इन प्रोग्रेस'** के काल्पनिक आवरण से बाहर निकलकर व्यवहारिक एवं क्रियात्मक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।*

शब्दकोश : *हॉर्स ट्रेडिंग, वीवीपेट, सेफोलोजी, स्विंग वोटर, सिटिग गेटिंग, अनुपस्थित मतदाता, ई इपिक, सखी मतदान केन्द्र, हैलो वोटर्स, स्वीप पोर्टल*

प्रस्तावना

चुनाव लोकतन्त्र की जीवन्त शक्ति एवं राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब है। लोकतन्त्र में स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता एवं शुद्धता अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु वर्तमान समय में चुनावी राजनीतिक में स्वार्थपूर्ण तत्वों का समावेश हो गया है। चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोचता है तथा येन केन प्रकारेण अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के प्रयास करता है, इसी कारण बूथ कैप्चरिंग एवं अवैध मतदान जैसी घटनाओ का जन्म होता है। अयोग्य एवं भ्रष्टाचार में संलग्न व्यक्ति भी चुनाव में विजयी होता है तथा राजनीति पद का दुरूपयोग करता है। जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है जो कहीं न कहीं लोकतान्त्रिक मूल्यो के पतन को दर्शाती है। निर्वाचन प्रणाली की दूषित प्रवृति के कारण ही **'हार्स ट्रेडिंग'** जैसे शब्द प्रचलित हुए है।

देश के विभिन्न राज्यो यथा–कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजनीतिक उठापठक की स्थिति उत्पन्न की है। बढती सामाजिक–आर्थिक असमानता, धनबल, राजनीति का अपराधीकरण, विभाजनकारी राजनीति आदि ऐसे कारक है जिसके कारण नागरिको एवं राजनीतिक वर्ग के बीच स्वस्थ मतैक्य के अभाव को स्पष्टतः देखा जा सकता है। इन कारको का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि चुनाव सुधार वर्तमान में अत्यन्त ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है, जिस पर गम्भीर चिन्तन एवं मनन किया जाना चाहिए।

---

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

चुनाव सुधार की आवश्यकता हेतु उत्तरदायी कारक

प्रत्येक निर्वाचन को मतदाता की राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति अवश्य प्रभावित करती है, इसके आधार पर ही निर्वाचन की परिशुद्धता प्रमाणित होती है। वर्तमान में निर्वाचन प्रणाली में व्याप्त दूषित कारको के कारण चुनाव सुधार एक चिन्तन का विषय बनकर उभरा है। इन कारको को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैः–

- **धनबल की बढती भूमिका –** चुनाव में धनबल की भूमिका भारत में चुनाव सुधार के प्रत्येक विचार विमर्श में सर्वमान्य प्रश्न बन गया है। राजनीतिक दलो के वित पोषण की उचित व्यवस्था नहीं होने से चुनाव में अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। राजनीतिक दलो को वित पोषण के सन्दर्भ में सबसे प्रमुख समस्या उन्हे मिले चन्दे का स्त्रोत का अस्पष्ट और अनाधिकृत होना है, जिसका वैधानिक स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता और इसी वजह से उनका ऑडिट नहीं हो सकता। किन्तु निवार्चन आयोग द्वारा समय–समय पर चुनावी व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन लडने के लिए व्यक्ति को काफी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। व्यय विहित सीमा निरर्थक है और प्रायः कभी इसका पालन नहीं किया जाता। यह राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की काफी मात्रा में विवशता भी उत्पन्न करता है। इसने क्रमिकतः पूरी प्रणाली को ही दूषित कर दिया है। धन शक्ति वस्तुतः निर्वाचन के सम्पूर्ण क्षेत्र की नियन्त्रित करती है और लोग ऐसे भ्रष्ट तत्व के साथ हो जाते है जो येन केन प्रकारेण संसद सदस्य या राज्य विधानमण्डल के सदस्य की प्रस्थिति पाना चाहते है।

धनबल की भूमिका को स्पष्ट करते हुए संविधान की कार्यशैली की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष 2001 मे कहा था कि – **''धन के लिए चुनावी मजबूरियॉ भ्रष्टाचार की ईमारत की नींव बन जाती है''**।(1)

- **भ्रामक समाचार का प्रकाशन–** मीडिया द्वारा राजनीतिक दलो के समाचारो के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिए मूल्य मॉगना चिन्ताजनक विषय है, यह लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। इस सन्दर्भ में वर्ष 2012 में पीपल फॉर नेशन संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्व निर्वाचन आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा ने इसे लोकतन्त्र के लिए घातक बताया। उन्होने कहा कि वर्ष 1991 के बाद से इस सम्बन्ध में मुद्रित एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के विरूद्ध पंजाब, उत्तरप्रदेश चुनाव पर सैकड़ो याचिकाऍ मिली है, जो बहुत ही दुःख की बात है।(2)
- **जाति आधारित राजनीति–** देश के निर्वाचनो में प्रारम्भ से ही जाति एवं सम्प्रदाय निर्णायक भूमिका निभाते है, जो कि अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। जब राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारो के नाम तय करता है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियो को ध्यान में रखता है ताकि उन्हे चुनाव जीतने के लिए जरूरी मत मिल जाए। राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओ को उकसाते है। कुछ दलो को जातियो के मददगार व प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। राजनीति मे जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियो का खेल है।
- **राजनीति में बढता मोहभंग–** देश की राजनीतिक व्यवस्था से जनता का तेजी से मोहभंग हो रहा है। चुनावी निर्णयो का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। इसके कारण वे लगातार पैसे के ताकत के बढते कुचक्र, मतदान मे अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के साक्षी बन रहे है। मत पाने के लिए दलो के लुभावनो तथ्यो को जनता बडी आसानी से स्वीकार कर लेती है। इसने चुनावो को एक बडे आयोजन में बदल दिया है, राजनीति व्यापार कारोबार में परिवर्तित हो गई है। इसने चुनावी व्यय की समस्या को बढाया है जिससे राजनीति में भ्रष्टाचार बढा है।
- **चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग**– चुनाव में शासक दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग एक सामान्य बात है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तन्त्र का दुरूपयोग के विरूद्ध विपक्षी दल आवाज उठाते है किन्तु जब विपक्षी दल सता में हो तब वे भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाते है।

इनका मूल उदेश्य चुनाव में अधिक से अधिक मत प्राप्त करना होता है। सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग से देश के नैतिक एवं आर्थिक मूल्यों का ह्रास होता है।

- **निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित दबाव**– निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक व अन्य प्रकार के दबाव डाले जाते है, जिसके परिणामस्वरूप इन्हे अनेक प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। दबाव के कारण वे अपना कार्य निष्पक्ष रूप से सम्पन्न नहीं करवा पाते है। इसी कारण ही प्रत्येक चुनाव चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इनमें निर्वाचन की वैधता एवं परिशुद्धता पर सवालिया निशान लगाए जाते है।
- **मतदाता सूचियो की अपूर्णता**– निर्वाचन प्रणाली एक मुख्य समस्या यह है कि चुनावो के समय विशेषकर मध्यावधि चुनावो के समय मतदाता सूचिया प्रायः अपूर्ण रहती है। इनमें गलतियॉ भी पाई जाती है, परिणामस्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हे। चुनाव क्षेत्रो में कई बार ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जो शासक दल के अनूकूल होता है।
- **निर्दलीय उम्मीदवारो की बहुलता**– भारतीय चुनाव व्यवस्था की गम्भीर समस्या निर्दलीय उम्मीदवारो की है। निर्दलीय उम्मीदवारो की अधिक संख्या के कारण मतपत्र बहुत लम्बे बनाने पडते है। मतदान पेटियॉ बड़ी व अधिक संख्या में तैयार करनी पडती है, जिससे व्यर्थ में निर्वाचन व्यय बढता है।
- **मतदाता शिक्षा का अभाव**– भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की सबसे बडी समस्या मतदाता शिक्षा का अभाव है। मतदाता शिक्षा के अभाव में अपने मत का सही उपयोग नहीं कर पाता तथा कभी–कभी अपना मत बेचने को भी तैयार हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य, अप्रशिक्षित एवं अनुभवहीन उम्मीदवार राजनीति में अपना स्थान बनाने के स्वार्थपूर्ण उदेश्य में सफल हो जाते है।
- **अदृश्य होती महिला मतदाता**– निर्वाचन व्यवस्था में सर्वाधिक चिन्ताजनक विषय यह है कि 18 वर्ष की आयु होने और मतदान करने की योग्यता के बावजूद भारत की करोडो महिलाऍ मत देने के लिए पंजीकृत नहीं है। 2011 की जनगणना यह बताती है कि वर्ष 2019 तक भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं की कुल संख्या पुरूषो की कुल संख्या का 97.2 प्रतिशत होगी, परिणामस्वरूप इस बात की मात्र उम्मीद की जा सकती है कि देश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या कुल पुरूष मतदाताओं की तुलना में इसी अनुपात में होगी, या कम से कम इस ऑकडे के आसपास ही होगी, किन्तु वर्ष 2019 के लिए निर्वाचन आयोग का ऑकडा बताता है कि पुरूष मतदाताओ की तुलना में महिला मतदाताओ की संख्या महज 92.7 प्रतिशत ही है।

अतीत की जनगणनाओं और निर्वाचन आयोग के ऑकडो से यह स्पष्ट है कि महिलाओं का आनुपातिक रूप से कम प्रतिनिधित्व चुनाव दर चुनाव, दशक दर दशक होता गया है। महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से अदृश्य होने की सबसे आश्चर्यजनक घटना 2014 के लोकसभा चुनाव में सामने आई जब 2 करोड 34 लाख महिलाओं को मताधिकार से वंचित होना पडा। (3)

चुनाव सुधार हेतु किए गए प्रयास

वर्तमान समय में निर्वाचन व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याऍ विद्यमान है, किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनके निराकरण हेतु प्रयास नहीं किए जा रहे है। देश की निर्वाचन व्यवस्था में शर्नेः शर्नेः अनेक परिवर्तन किए गए है जिसके परिणाम स्वरूप लोकतन्त्र के आचार एवं नीति नियमों में शुद्धता का समावेश हुआ है। निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद, विधि आयोग, विभिन्न संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है जिन्हे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

चुनाव सुधार हेतु निर्वाचन आयोग के प्रयास

निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के प्रथम चुनाव के समय से ही निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास किए गए है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार मतदाता पहचान पत्र जारी करना माना जा सकता है। मतदाता के

मत की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के कार्यकाल के समय भारतीय मतदाता पहचान पत्र को प्रथम बार वर्ष 1993 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के वयस्क आधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया पहचान का प्रमाण है।

प्रारम्भ में चुनाव मतपत्र के माध्यम से करवाए जाते थे। उस समय अगर मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहता था तो उसके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई थी।

चुनाव संचालन नियमावली 1961 के नियम 490 के अनुसार यदि मतदाता अपनी चुनावी संख्या पुस्तिका में **(फार्म संख्या 17A)** और अपने हस्ताक्षर या अंगुठे के छाप **नियम 49L** के **उपनियम (1)** के अनुसार इंगित करने के पश्चात अपना मत अभिलिखित नहीं करने का निर्णय लेते है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा **फार्म संख्या – 17A** में मतदाता के नाम के समक्ष उसके हस्ताक्षर या अंगुठे के छाप लिए जाएंगे और उसके इस निर्णय का उल्लेख किया जाएगा।[4]

यह नियम मतदाता के लिए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान करता है। नियम 490 का मुख्य दोष यह है कि इससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है, क्योंकि मतदाता पीठासीन अधिकारी को अपने इस निर्णय के बारे में सूचित करता है। किन्तु इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा विकल्प करवाया गया है जो कि उम्मीदवार के मत को पूर्णतः गोपनीय रखता है।

प्रारम्भ में जब चुनाव मतपत्र के माध्यम से सम्पन्न करवाए जाते थे तो 1952 से 1998 के मध्य इसके कागज के लिए 10 मिलियन पेड़ो की कटाई की गई जो कि पर्यावरण संरक्षण के सम्मुख गंम्भीर चुनौती थी, परन्तु वर्तमान में ईवीएम मशीनों के प्रयोग से पेडों की कटाई रूक गई है साथ ही बूथ कैप्चरिंग और अवैध मतदान की घटनाओं पर भी रोक लगी है। ईवीएम में वाईफाई और ब्लूटूथ की सुविधा नहीं होने से ये छेडछाड रहित एवं हैकिंग से सुरक्षित है।[5]

मतदान के प्रति जागरूकता हेतू पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला के कार्यकाल में सम्पन्न 2009 के लोकसभा चुनाव में वृहद् स्तर पर अभियान चलाया गया और मतदाता की सक्रिय सहभागिता के कारण मतदान का प्रतिशत बढा। इस चुनाव में बनाए गए केन्द्रो में एक केन्द्र गुजरात के जूनागढ के बनेज गॉव में एकल मतदाता के लिए बनाया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व सिद्ध हो सके एवं लोकतन्त्र के महापर्व में प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपनी भागीदारी निभा सके।[6]

निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में चुनाव सुधार हेतु अनेक नवाचार किए जा रहे है जो कि चुनाव सुधारों के क्रम में निःसन्देह मील का पत्थर सिद्ध होंगे। आयोग द्वारा मतदाता को वीवीपेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वीवीपेट अर्थात **'वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल'** इसके अन्तर्गत मतदाता ने जिसे अपना मत दिया है, उसका नाम व चुनाव चिन्ह मत डालने के बाद मशीन में पृष्ठ पर लिखा दिखाई देता है। इससे मतदाता पूर्ण रूप से आश्वस्त हो सकता है कि उसका मत उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने मत दिया है।[7]

वीवीपेट के अतिरिक्त आयोग द्वारा नोटा विकल्प का प्रारम्भ किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर मतदाता को कोई भी योग्य उम्मीदवार प्रतीत नहीं होता तो वह नोटा विकल्प का प्रयोग कर अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार यह विकल्प एक मतदाता को अपने मत की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान करता है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) के एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2014 से 2017 के बीच नोटा विकल्प पर अब तक 1.33 करोड मत पड़ चुके है। इसका अर्थ यह है कि पिछले चार वर्ष में ईवीएम के प्रयोग से सम्पन्न 37 चुनावों मे हर चुनाव में औसतन 2.7 लाख मत नोटा विकल्प को दिए गए।[8]

इसके माध्यम से मतदाता जागरूकता को स्पष्टतः देखा जा सकता है। कई सीटो पर राजनीतिक दलो द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया है। इसमें राजनीतिक दलो को यह सन्देश दिया कि वे उम्मीदवारों के चयन को बदले।

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **25 जनवरी 2021** को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को **'ई–इपिक'** की सुविधा प्रदान की गई है। यह मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल प्रारूप में प्राप्त करने का वैकल्पिक और त्वरित माध्यम है। इसे मोबाईल या कम्प्युटर के माध्यम से डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जा सकता है। निश्चित रूप से यह प्रयास चुनावों सुधारो के क्रम में डिजिटल क्रान्ति लाने में सहायक सिद्ध होगा।

निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में लैंगिक समानता और महिलाओं की अधिक रचनात्मक भागीदारी हेतु साधारण निर्वाचन के समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा पूर्णरूपेण संचालित मतदान केन्द्र को स्थापित करने के निर्देश दिए है। इन केन्द्रों पर समस्त मतदान कर्मचारी जिसमें पुलिस व सुरक्षा कार्मिक शामिल है, महिलाएँ होगी। इस महिलाओं द्वारा पूर्णरूपेण संचालित मतदान केन्द्रों का नाम **'सखी मतदान केन्द्र'** दिया गया है।

निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता हेतू एक वेब रेडियो **'हैलो वोटर्स'** प्रारम्भ किया है, यह देश भर से हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में गीत, नाटक, चर्चा, निर्वाचन की कहानियों आदि के माध्यम से निर्वाचकीय प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में शिक्षा एवं जानकारी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा को मजेदार एवं प्रेरणादायक बनाने के लिए एक कॉमिक पुस्तक– **'चलो करे मतदान'** भी प्रकाशित की गई है।

मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रसार करने एवं मतदाता साक्षरता को बढावा देने के लिए आयोग द्वारा 'स्वीप पोर्टल' लांच किया गया है, इसे **'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं मतदाता सहभागिता कार्यक्रम'** के नाम से जाना जाता है।[9]

चुनाव सुधार के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

देश की निर्वाचन व्यवस्था में सुधार हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमे से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयो को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

वर्ष 2009 में निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से नोटा का विकल्प उपलब्ध करवाने सम्बन्धी अपने विचारो से अवगत कराया था, बाद में **पीपल्स फॉर सिविल लिबर्टीज** ने भी नोटा विकल्प के सन्दर्भ में जनहित याचिका लगाई, जिस पर वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय दिया और कहा–

''हम चुनाव आयोग को ईवीएम में आवश्यक प्रावधान प्रदान करने का निर्देश देते है और एक अन्य बटन जिसे नोटा अर्थात 'उपरोक्त में से कोई नहीं' कहा जा सकता है, उपलब्ध करवाते है, ताकि मतदाता अपने विचारो की अभिव्यक्ति का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग कर सके''।[10]

दोषी सांसदो एवं विधायको की सदस्यता शीध्र समाप्त करने हेतु **श्रीमती लिली थोमस एवं श्री शुक्ला (महासचिव : लोक प्रहरी)** की याचिका पर 10 जुलाई 2013 को उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और आदेश दिया कि–

''दागी सांसद या विधायक अगर दोषी पाए जाते है तो उनकी सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जाएगी तथा सीट रिक्त मान ली जाएगी''।[11]

उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय का आधार यह माना कि जो मानक एक चुनाव लडने वाले उम्मीदवार के लिए मान्य है वही मानक निर्वाचित सांसद या विधायक के लिए भी होने चाहिए।

वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेष मनुभाई परमार की राज्यसभा में नोटा विकल्प के सन्दर्भ में सुनवाई की गई। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि–

''राज्यसभा चुनावों में नोटा विकल्प का प्रयोग नहीं होगा, राज्यसभा में नोटा विकल्प का प्रयोग मत और प्रतिनिधित्व के मूल्य की अवधारणा को नष्ट कर देगा, भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल देगा तथा पूरी तरह से लोकतान्त्रिक मूल्यों को नष्ट कर देगा''।[12]

वर्ष 2019 में 21 राजनीतिक दलो द्वारा ईवीएम एवं वीवीपेट के सन्दर्भ में लगाई गई याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि–

''एक विधानसभा क्षेत्र के 50 प्रतिशत ईवीएम व वीवीपेट का मिलान किया जाना चाहिए। हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बातचीत की है, प्रारम्भ में हम निरीक्षण करना चाहेंगे, हम सन्देह नहीं कर रहे है, यह सम्भव हो सकता है कि सिस्टम सटीक परिणाम देता हो लेकिन अगर संख्या बढती है तो इससे अधिक सन्तुष्टि बढेगी''।[13]

चुनाव सुधार हेतु संसद के प्रयास

चुनाव सुधार हेतु ससंद द्वारा समय–समय पर अनेक प्रयास किए गए है तथा वर्तमान समय में भी निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे है, इन्हे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

संसद द्वारा निर्वाचन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाए गए तथा इनमे आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए। वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय मतदाता की आयु में संशोधन हेतु 89 वॉ संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 61 वे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवावर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, मत सम्बन्धी अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके।[14]

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का अपमान करने वालो पर 6 वर्ष तक चुनाव लडने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। वर्ष 1999 के पश्चात् संसद द्वारा चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया गया। 1999 से पूर्व चुनाव लडने के लिए मात्र दो पृष्ठ के नामांकन पत्र होते थे, वर्तमान में नामांकन पत्र लगभग 100 पृष्ठ के हो गए है। इनमें उम्मीदवार को अपनी सम्पति, ऋण, देनदारी के साथ अगर उम्मीदवार ने कुछ गलत किया है तो उस आपराधिक रिकॉर्ड को भी भरना होता है।

वर्तमान में संसद द्वारा फरवरी 2020 में चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु वृहद् प्रयास किए गए। इस हेतु विधि एवं न्याय मन्त्रालय द्वारा निर्वाचन के सन्दर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग के सुझाव पर मन्त्रालय द्वारा **22 अक्टूबर 2020** को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा **चुनाव संचालन नियमावली 1961** में संशोधन करते हुए अब 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को **'अनुपस्थित मतदाता'** की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।[15]

वर्तमान में चुनावों सुधारों के क्रम में ही **''एक राष्ट्र, एक चुनाव''** का विषय भी प्रचलन में है। इससे निश्चित रूप से समय, धन एवं श्रम की बचत तो होगी, किन्तु भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इस प्रकार चुनाव सम्पन्न करवाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। चुनाव सुधार की दिशा में यह विषय कितना सहायक सिद्ध होगा अथवा नहीं, इसके क्या लाभ तथा क्या हानियॉ होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है, किन्तु इस व्यवस्था को लागू करने हेतु निर्वाचन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, अतः इस विषय पर गहन चिन्तन एवं विचार विमर्श किया जाना चाहिए। हाल ही में **26 नवम्बर 2020** को **संविधान दिवस** के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में **80 वे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी** सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने **''एक राष्ट्र, एक चुनाव''** के सिद्धान्त पर बल दिया और इस हेतु विचार विमर्श पर सहमति व्यक्त की।[16]

संसद द्वारा निर्वाचन व्यवस्था में सुधार हेतू 21 दिसम्बर 2021 को **'निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021'** को पारित किया गया है। विधेयक में मतदाता सूची में दोहराव और अवैध मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र और सूची को आधार कार्ड से जोडने का प्रस्ताव रखा गया है। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण नहीं करा सके तथा अवैध मतदान को रोका जा सके। 18 वर्ष के होने पर कई मतदाता मत देने से वंचित हो जाते है, क्योकि एक जनवरी को पंजीकरण सम्बन्धी एक ही कट ऑफ दिनांक होती है और उसमें ही नए मतदाताओं का पंजीकरण होता है, किन्तु अब पंजीकरण के सम्बन्ध में चार दिनांक होगी जो क्रमशः **एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर** होगी।

इसके साथ ही निर्वाचन सम्बन्धी विधि को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। अब तक के प्रावधानों के तहत किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है, परन्तु अब इसे मान्यता दी जाएगी। विधि को लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए 'पत्नी' शब्द को पति या पत्नी से प्रतिस्थापित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की **धारा 20** तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की **धारा 60** में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।[17]

निर्वाचन व्यवस्था में सुधार हेतु देश में सरकारी तन्त्र, प्रशासनिक तन्त्र, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग के साथ–साथ विभिन्न संस्थाएँ भी कार्य कर रही है, जिनमें से एक है–

'पीपल फॉर नेशन', इस संस्था का मानना है कि अन्य सुधारों को तब तक लागू नहीं कराया जा सकता, जब तक निर्वाचन सुधार का सूत्रपात कर सकता है।

संस्था द्वारा वर्ष 2012 में नई दिल्ली में **'चुनाव सुधार'** विषय पर **राष्ट्रीय संगोष्ठी** का आयोजन किया गया। जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं को निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यों को सत्यता के साथ प्रकाशित करने एवं पत्रकारों को पूर्णतः ईमानदारी, निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने सम्बन्धी बातो पर विचार विमर्श किया गया ताकि प्रत्येक मतदाता तक निर्वाचन सम्बन्धी सही जानकारी पहुँच सके।

पीपल फॉर नेशन संस्था की तरह ही एनडीटीवी के संस्थापक प्रॉनॉय रॉय के द्वारा ही देश को राजनीतिक ऑकडो की सहायता से पूर्णतः सत्यता एवं ईमानदारी के साथ टेलिविजन पर **'सेफोलॉजी'** से परिचित कराया। सेफोलॉजी अर्थात चुनावी विश्लेषण, जिससे विजेता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सके। प्रानॉय रॉय द्वारा **'स्विंग वोटर'** की समस्या के हल भी बताए गए। स्विंग वोटर अर्थात चुनाव के दिन अपना मत बदलकर अन्य प्रत्याशी को मत देना होता है।

इसी तरह योगेन्द्र यादव यह मानते है कि चुनाव में स्विंग वोटर की तरह ही **सिटिंग–गेटिंग** कारक भी चुनाव को प्रभावित करता है। सिटिंग–गेटिंग अर्थात् नए प्रत्याक्षी को टिकट देने की तुलना में पुनः पुरानों को ही टिकट देने की तरह झुकाव। वर्तमान में चुनाव सुधार के अन्तर्गत इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सत्रहवी लोकसभा और विभिन्न विधानसभा चुनावों में युवा चेहरों को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। नए प्रत्याशी के पास अनुभव की तो कमी होती है, परन्तु नया प्रत्याक्षी अत्यधिक ऊर्जा, सक्रियता एवं लगन पूर्वक देश की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।[18]

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में निर्वाचन व्यवस्था में तीव्रगति सुधार हेतु अथक प्रयास किए जा रहे है। चुनाव सुधारो की सही दिशा में क्रियान्विति हेतु सभी सहभागियों चाहे वे राजनीतिक दल हो, राजनीतिक कुलीन वर्ग हो, विधिक एवं औपचारिक संस्थाएँ हो, सबको नए उत्साह के साथ आगे बढना चाहिए। प्रशासनिक तन्त्र को पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा, ईमानदारी एवं लगन के साथ निर्वाचन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए योजनाएँ निर्मित करनी चाहिए, साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग अनिवार्यतः एवं विवेकयुक्त होकर करना चाहिए तथा लोकतन्त्र के इस महापर्व में अवश्य अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से चुनाव सम्पन्न हो एवं राजनीतिक अस्थिरता से बचा जा सके। परिणामस्वरूप मजबूत एवं ईमानदार छवि वाली संसद का निर्माण हो, जो देश को निरन्तर प्रगति के पथ पर ले जाए और हमारा भारत देश विश्व पटल पर पुनः विश्वगुरू की भूमिका निभाएँ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनोज अग्रवाल ''चुनाव सुधारः सुशासन की ओर एक कदम'' प्रभात प्रकाशन, 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 प्रथम संस्करण 2015 पृष्ठ संख्या 118, 131
2. वहीं, पृष्ठ संख्या 131
3. प्रॉनॉय रॉय, दोराब : सोपारीवाला, ''भारतीय जनादेशः चुनावों का विश्लेषण,'' पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन रैंडम हाउस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ संख्या 50, 66, 67, 101
4. https://eci.gov.in/ecimain/currentelection/17032011A.pdf
5. प्रॉनॉय रॉय, दोराब : सोपारीवाला, ''भारतीय जनादेशः चुनावों का विश्लेषण,'' पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन रैंडम हाउस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ संख्या 66, 67
6. नवीन चावला, एवरी वोट काउंट्स, हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, इण्डिया पृष्ठ संख्या 178
7. https://eci.gov.in
8. www.adrindia.org
9. https://eci.gov.in
10. www.allindiareportey
11. Indiankanoon.org
12. Indiankanoon.org
13. Indiankanoon.org
14. www.india.gov.in
15. https://pib/.gov.in
16. https://pib/.gov.in
17. https://naubharattimes.indiatimes.co.in
18. प्रॉनॉय रॉय, दोराब : सोपारीवाला, ''भारतीय जनादेशः चुनावों का विश्लेषण,'' पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन रैंडम हाउस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड पृष्ठ संख्या – 101

❖◆❖